न्यायालय–चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डबरा, जिला ग्वालियर (म0प्र0)
(समक्षः–संजय कुमार गुप्ता)

Filling No.- CRA/2798/2023
CNR No.- MP-07-06-003598-2023.
Case No.- CRA/0063/2023
Registration Date- 28/07/2023.

विजय सिंह उर्फ घसीटिया रावत पुत्र श्री अजमेर सिंह रावत, आयु–42 साल, निवासी– ग्राम अमरौल, थाना चीनौर, जिला ग्वालियर म0प्र0.

––अपीलार्थी/आरोपी.

–:: वि रू द्ध ::–

म0प्र0 राज्य द्वारा पुलिस थाना–चीनौर जिला ग्वालियर म0प्र0.

––प्रत्यर्थी/राज्य.

———————————————————————————————

अधिवक्तागण :–

अपीलार्थी द्वारा श्री उमाशंकर शिवहरे अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी द्वारा श्री परमाल सिंह बघेल अपर लोक अभियोजक।

———————————————————————————————

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भितरवार, जिला ग्वालियर म0प्र0 (श्री राकेश सिंह) के न्यायालय के आपराधिक प्रकरण क्रमांक–459/2016 व उनमान राज्य बनाम विजय सिंह उर्फ घसीटिया में पारित निर्णय व दण्डादेश दिनांक 30/06/2023 से उद्भूत दाण्डिक अपील।

———————————————————————————————

–:: नि र्ण य ::–
(आज दिनांक 31/05/2024 को घोषित किया गया)

1– अपीलार्थी/आरोपी की ओर से उक्त दाण्डिक अपील धारा 374 द0प्र0सं0 के तहत न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भितरवार, जिला ग्वालियर (श्री राकेश सिंह) द्वारा दाण्डिक प्रकरण क्रमांक–459/2016 व उनमान राज्य विरूद्ध विजय सिंह उर्फ घसीटिया रावत में घोषित निर्णय व दण्डाज्ञा दिनांक 30/06/2023 से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की है। उक्त निर्णय अनुसार आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 457, 354 के अपराध में दोषसिद्ध किया गया है।

2— अपीलार्थी/आरोपी की ओर से पेश की गई अपील संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 08/11/2016 को फरियादीया का पति हार में पानी देने के लिये गया था व उसकी ककिया सास मीना घर के अंदर कमरे में तथा दूसरे कमरे में पीड़िता अपनी चार साल की बच्ची के साथ सो रही थी, उसके दरवाजे में कुंदी न होने के कारण उसने दरवाजा लटका दिया था, रात में करीबन 11:00 बजे उसके किसी व्यक्ति के आने की आहट हुई जिसके कारण उसकी नींद खुल गई तो उसने आरोपी को देखा और आरोपी ने उसके कमरे का बल्ब बंद कर बुरी नियत से उसका मूंह दबाकर उसे चुप करा दिया, फरियादीया के चिल्लाने पर आरोपी उसे धक्का देकर भाग गया, उसने उक्त घटना अपनी ककिया सास मीना व अजिया सास रामकली व पति को बताई।

3— अपीलार्थी/आरोपी की ओर से प्रस्तुत अपील में यह आधार लिये गये हैं कि योग्य विचारण न्यायालय का निर्णय एवं दण्डादेश विधि विधान के प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाने योग्य है। घटना की रिपोर्ट विलम्ब से कराई गई है जिसके सम्बंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। अभियोक्त्री के कथनों में सारवान विरोधाभास है। प्रकरण में रामकली अ0सा0—04, मीना अ0सा0—05 ने अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है। अभियोजन साक्षी डॉक्टर गिर्राज अ0सा0—06 द्वारा पीड़िता को कोई चोट होना नहीं बताई गई है, बावजूद अभियोजन के मामले को संदेह से परे प्रमाणित करने में कानूनी त्रुटि की है। अपीलार्थी का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। फलस्वरूप अपीलार्थी परिवीक्षा पर रिहा किये जाने का अधिकारी है, बावजूद योग्य विचारण न्यायालय के द्वारा अपीलार्थी को जो सजा दी है, वह अत्यधिक है। अपील स्वीकार की जाकर निर्णय एवं दण्डादेश अपास्त किये जाने का निवेदन किया है।

4— प्रकरण में प्रत्यर्थी/राज्य की ओर से श्री परमाल सिंह बघेल अपर लोक अभियोजक द्वारा उपस्थित होकर मौखिक तर्क करते हुये विद्वान विचारण न्यायालय के आदेश की विधि अनुरूप होना बताया है।

5— प्रकरण में प्रस्तुत दाण्डिक अपील के निराकरण के लिये मुख्य रूप से निम्न बिन्दु विचारणीय है :—

1— क्या विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य निर्णय एवं दण्डादेश दिनांक 30/06/2023 विधि विरूद्ध होकर अपास्त किये जाने योग्य है अथवा नहीं ?

निष्कर्ष के कारण एवं आधार :—

6— उभयपक्ष की ओर से किये गये तर्क, अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं अपील में लिये गये आधार के अवलोकन से सर्वप्रथम यह विनिश्चित किया जाना है कि ***क्या घटना दिनांक व समय को आरोपी द्वारा अभियोक्त्री के घर में मध्य रात्रि में घुसकर लज्जा भंग करने के आशय से आपराधिक बल प्रयोग किया ?*** उक्त सम्बंध में अभियोक्त्री अ0सा0—01 का कथन अत्यंत महत्वपूर्ण है। अभियोक्त्री अ0सा0—01 ने न्यायालयीन कथन दिनांक 16/11/2022 को आरोपी को पहचानते हुये बताया है कि आज से 07 साल पूर्व ग्राम अमरौल में उसके घर रात्रि 11:00 बजे जब वह और उसकी बच्ची सो रहे थे तो घर के दूसरे कमरे में उसकी ककिया सास मीनाबाई, अजीया सास रामकलीबाई सो रही थीं और उसके पति खेत में पानी देने गये थे तभी न्यायालय में उपस्थित आरोपी विजय उर्फ घसीटिया उसके कमरे में आ गया और उसके साथ बिस्तर पर लेट गया, वह समझी कि पति आकर बिस्तर पर लेट गये तो उसने कहा कि थोड़ा खिसक जाओ तो आरोपी बोला कि चुप रहो तो उसने आरोपी की आवाज पहचानकर जान लिया।

7— उक्त साक्षी ने कण्डिका 02 में अग्रेतर यह भी कथन किया है कि आरोपी ने मूंह दबाने की कोशिश की लेकिन उसने अपनी अजिया और ककिया सास को चिल्लाकर आवाज दी तो आरोपी भाग गया फिर उसने अजिया सास व जेठ को बताई और पति आने पर उनको भी बताया फिर इसके बाद पुलिस थाना चीनौर में जाकर प्र0पी0—01 की रिपोर्ट कराई, जिस पर साक्षी ने ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षरों को प्रमाणित किया है। उक्त साक्षी ने आगे यह भी कथन किया है

कि उसके सामने पुलिस ने नक्शा मौका प्र0पी0–02 बनाया था। पुलिस ने उसका चिकित्सीय परीक्षण एवं न्यायालय में कथन कराया जाकर पूछताछ की थी।

8– जहां तक अपीलार्थी द्वारा लिये गये तर्क के आलोक में अभियोक्त्री अ0सा0–01 की अभिसाक्ष्य की विश्वसनीयता का प्रश्न है तो अपीलार्थी की ओर से मुख्यतः लिये गये आधार के प्रकाश में यह तर्क किया गया है कि अभियोक्त्री अ0सा0–01 के कथनों में सारवान विरोधाभास है, जिसके सम्बंध में योग्य विचारण न्यायालय द्वारा यह कहते हुये अनदेखा किया गया है कि अभियोक्त्री ग्रामीण एवं हस्ताक्षर करने वाली महिला है इस कारण ऐसा विरोधाभास आना स्वभाविक है जो कि सारवान नहीं है। उक्त सम्बंध में यह उल्लेखनीय है कि अभियोक्त्री अ0सा0–01 के द्वारा प्राथमिकी प्र0पी0–01 में घटना के मुख्य अंश के सम्बंध में यह बताया है कि घटना दिनांक रात्रि 11:00 बजे कमरे में कोई व्यक्ति जैसा आने की आहट हुई तो नींद खुली और बल्व जल रहा था तो उसने आरोपी को देखा जिसने बल्व बंद कर दिया था और इसी तरह का कथन अभियोक्त्री ने पुलिस कथन प्र0डी0–01 में भी किया है, जबकि धारा 164 द0प्र0सं0 के कथन में वह अपने पलंग पर आरोपी का बिस्तर पर लेटे हुये होना बताया है और आहट को उसने आरोपी को पहचाना है। इस प्रकार उसने धारा 164 द0प्र0सं0 के कथन में जो बिस्तर पर आरोपी के लेटने का इम्प्रूवमेंट किया है और वहीं न्यायालयीन कथन में अभियोक्त्री द्वारा यह बताया गया है कि उसने बिस्तर पर लेटने वाले व्यक्ति को पति समझा था और उससे खिसकने की बात कही थी, जबकि ऐसा अभियोजन का मामला नहीं है। इस प्रकार उक्त विरोधाभास सारवान एवं तात्विक है। जहां तक योग्य विचारण न्यायालय के द्वारा उक्त विरोधाभास के सम्बंध में यह निष्कर्ष दिया है कि अभियोक्त्री ग्रामीण एवं हस्ताक्षर करने वाली महिला है, जिससे इस प्रकार की विसंगतियां होना स्वभाविक है। अभियोक्त्री ग्रामीण एवं हस्ताक्षर करने वाली महिला अवश्य है लेकिन उससे घटना के सम्बंध में वास्तविक घटना के वृतांत की अपेक्षा की जाती है, जिसका पढ़े लिखे एवं ग्रामीण होने से कोई सम्बंध नहीं है। ऐसी दशा

में योग्य विचारण न्यायालय के द्वारा उक्त विरोधाभास के सम्बंध में दिया गया निष्कर्ष उचित नहीं है। अतः अपीलार्थी की ओर से लिया गया आधार कि अभियोक्त्री के कथन में सारवान विरोधाभास है, उचित प्रतीत होता है।

9– द्वितीयतः अपीलार्थी द्वारा मुख्यतः यह तर्क किया गया है कि अभियोक्त्री द्वारा विलम्ब से प्राथमिकी लेख कराने के सम्बंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, ऐसी दशा में घटना कपोल कल्पित होकर अविश्वसनीय है। उक्त सम्बंध में पुनः अभियोक्त्री अ0सा0–01 के कथन पर गौर किया जाये तो उक्त साक्षी से कण्डिका 04 में जब यह पूछा गया कि आपने पुलिस को रात्रि में सूचना क्यों नहीं दी तो उसने कहा कि घर वालों को जानकारी होगी, उसे जानकारी नहीं है। पुनः इसी सम्बंध में बचाव पक्ष की ओर से कण्डिका 06 में यह पूछा गया कि घटना के बाद आपके पति व जेठ आने के पश्चात् भी आप रिपोर्ट करने क्यों नहीं गये तो साक्षी कहती है कि उसे जानकारी नहीं है। यहां यह उल्लेखनीय है कि घटना वर्ष 2016 की होना बताई जाती है और न्यायालयीन कथन दिनांक 16/11/2022 को उसकी आयु 32 वर्ष होने से, ऐसी दशा में घटना के समय उसकी आयु 26–27 वर्ष रही होगी। जहां किसी महिला के साथ उसकी लज्जा को भंग किया जा रहा है और वह रिपोर्ट करने के लिये शांत रहती है और वह घटना तो अपने पति व जेठ एवं अन्य लोगों को बताती है, किन्तु तत्काल रिपोर्ट करवाने का कोई प्रयास नहीं करती है और उक्त सम्बंध में पूछे जाने पर अस्वभाविक उत्तर देती है। विवेचक द्वारा भी विलम्ब के सम्बंध में कोई विवेचना नहीं की है, जैसा कि विवेचक जितेन्द्र सिंह तोमर अ0सा0–07 द्वारा कण्डिका 04 में कथन किया है। ऐसी दशा में विलम्ब का कारण उचित प्रतीत नहीं होता है।

10– अपीलार्थी की ओर से मुख्यतः पुरजोर यह तर्क किया गया है कि अभियोक्त्री अ0सा0–01 के अनुसार घटना के समय चिल्लाने पर उसी मकान में उपस्थित उसकी सास रामकली अ0सा0–04 और ककिया सास मीना अ0सा0–05 थीं, जो तत्काल आ गई थीं जिनके द्वारा घटना का समर्थन नहीं किया है। ऐसी

दशा में अभियोक्त्री अ0सा0–01 का कथन अविश्वसनीय होने से घटना शंकास्पद है। इस सम्बंध में सास रामकली अ0सा0–04 के कथन पर गौर किया जाये तो साक्षी ने यह कहा है कि घटना दिनांक को भूरी के चिल्लाने की आवाज आई, जीजी दौड़ो, आरोपी आया है तो वह उठकर दरवाजे पर बाहर आई तब तक आरोपी भाग गया था तो उसकी बहू ने बताया था कि आरोपी घसीटिया उसके कमरे में आया था, क्यों आया था उसने नहीं बताया। उक्त साक्षी जो कि अभियोक्त्री की खास सास है और अभियोक्त्री उसे नहीं बताती कि आरोपी के आने का क्या कारण है, बड़े ही आश्चर्य का विषय है। तर्क के लिये यह मान भी लिया जाये कि आरोपी आया था तो अभियोक्त्री ने उसको यह नहीं बताया कि आरोपी क्यों आया है। ऐसी दशा में अन्यथा उपधारणा किया जाना दर्शित है। उपरोक्त साक्ष्य से अभियोजन को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

11– इसी सम्बंध में अपीलार्थी की ओर से किये गये तर्क के आलोक में मीना अ0सा0–05 के कथन पर गौर किया जाये तो उक्त साक्षी ने अभियोक्त्री को अपनी भतीजी बहू होना बताया है और उसने आगे यह भी कथन किया है कि घटना रात्रि के समय की थी जब वह सो रही थी तब भूरी (अभियोक्त्री) के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी तो वह जाग गई, बाहर अंधेरा था, तो कुछ देर बाद वह नीचे गई तो भूरी ने कुछ नहीं बताया, पुलिस ने उससे कोई पूछताछ नहीं की। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया। वास्तविकता में यदि घटना घटित होती तो वह सास होने के नाते अवश्य घटना के सम्बंध में आरोपी के विरूद्ध कथन करती। ऐसी दशा में उक्त साक्ष्य से अभियोक्त्री की साक्ष्य पर ही प्रश्नचिन्ह अंकित होता है। जिसका लाभ अपीलार्थी को प्राप्त होता है।

12– इसी सम्बंध में पुनः अभियोक्त्री अ0सा0–01 की साक्ष्य पर गौर किया जाये तो अभियोक्त्री अ0सा0–01 ने अपनी अभिसाक्ष्य की कण्डिका 07 में यह बताया है कि वह थाने में सुबह 05:00 बजे पहुंच गई थी, जबकि प्राथमिकी प्र0पी0–01 सुबह 09:00 बजे लेख की गई है, जबकि उसके अनुसार वह थाने से

सुबह 06:00 बजे ही आ चुकी है। ऐसी दशा में प्राथमिकी के लेख किये जाने के समय के सम्बंध में प्रश्नचिन्ह अंकित होता है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त साक्षी कण्डिका 09 में यह अभिकथन करती है कि उसके घर के पास गजराज सिंह एवं मोहन पण्डित का मकान है और उसे पता नहीं है कि चिल्लाने पर गांव व बस्ती के लोग आये थे या नहीं। यह बड़े ही आश्चर्य की बात है कि पास में अजिया ससुर रामहेत आ जाते हैं लेकिन अन्य लोग कोई नहीं आता है। यदि वास्तविकता में घटना घटित हुई होती और अभियोक्त्री द्वारा चिल्लाया गया होता तो गांव के अन्य लोग भी उपस्थित होते। उपरोक्त विवेचना के अधीन भी अभियोक्त्री का कथन अविश्वसनीय प्रतीत होता है, बावजूद योग्य विचारण न्यायालय द्वारा अभियोक्त्री अ0सा0–01 की साक्ष्य को विश्वसनीय मानने का जो निष्कर्ष दिया है, वह अपास्त किया जाता है।

13– जहां तक भोलाराम अ0सा0–02, रामनिवास उर्फ बल्ली अ0सा0–03 की अभिसाक्ष्य की विश्वसनीयता का प्रश्न है तो उक्त सम्बंध में भोलाराम अ0सा0–02 की साक्ष्य पर गौर किया जाये तो भोलाराम ने यह बताया है कि घटना के समय वह खेत पर था, उसके भाई ने फोन करके घटना के बारे में बताया था। इसी प्रकार रामनिवास उर्फ बल्ली अ0सा0–03 की साक्ष्य पर गौर किया जाये तो उक्त साक्षी ने बताया है कि उसे भूरीबाई (अभियोक्त्री), दादी रामकली और चाची मीना ने बताया है, जबकि दादी रामकली और चाची मीना ने उक्त साक्षी को बताये जाने के सम्बंध में कोई कथन नहीं किया है। इस प्रकार उक्त साक्षीगण के कथनों में परस्पर विरोधाभास है अन्यथा भी उपरोक्त साक्षीगण अनुश्रुत साक्षी की परिधि में आते हैं। जहां उपर की गई विवेचना में स्वयं अभियोक्त्री का ही कथन विश्वसनीय है कि तब इन साक्षीयों की साक्ष्य का कोई महत्व नहीं रह जाता।

14– अब इसी सम्बंध में विवेचक जितेन्द्र सिंह तोमर अ0सा0–07 की साक्ष्य पर गौर किया जाये तो उक्त साक्षी ने यह कथन किया है कि दिनांक 09/11/2016 को फरियादीया द्वारा आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 157/2016 अंतर्गत धारा 457, 354

भारतीय दण्ड संहिता की प्र0पी0–01 की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, उसके द्वारा घटना स्थल पर जाकर फरियादीया की निशानदेही पर नक्शा मौका प्र0पी0–02 बनाया था और विवेचना के दौरान उसके द्वारा दिनांक 25/11/2016 को आरोपी विजय सिंह को साक्षीगण के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी0–07 बनाया था तथा दिनांक 27/11/2016 को साक्षी मीना, रामकली, बल्ली के कथन लेख किये थे। उक्त साक्षी ने कूट परीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसे रिपोर्ट लिखाते समय विलम्ब का कोई कारण फरियादी ने नहीं बताया था। उक्त साक्षी ने कण्डिका 08 में यह भी स्वीकार किया है कि उसके द्वारा घटना स्थल के आस पास के लोगों के कोई कथन लेख नहीं किये हैं।

15– जहां तक अपीलार्थी के तर्क के आलोक में विवेचक जितेन्द्र सिंह तोमर अ0सा0–07 की अभिसाक्ष्य की विश्वसनीयता का प्रश्न है तो अपीलार्थी द्वारा मौखिक रूप से यह तर्क किया गया है कि विवेचक द्वारा की गई कार्यवाही दोषपूर्ण है। उसके द्वारा आस पास के लोगों के एवं अभियोक्त्री के साथ लेटी हुई उसकी बच्ची ज्योति के भी कथन नहीं कराये हैं। उक्त सम्बंध में अभियोक्त्री के कथन पर गौर किया जाये तो अभियोक्त्री ने न्यायालयीन कथन में यह स्पष्ट बताया है कि घटना के समय वह और उसकी बच्ची ज्योति सो रहे थे। विवेचक द्वारा अभियोक्त्री के नजदीक लेटी हुई उसकी पुत्री ज्योति के सम्बंध में विवेचना मौन है जो कि घटना का अहम साक्षी हो सकती थी। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि रात्रि में अभियोक्त्री द्वारा चिल्लाया गया है, ऐसी दशा में आस पास के पड़ोसियों के कथन विवेचना में शामिल किया जाना निष्पक्ष विवेचना का आवश्यक घटक है। यद्यपि उपरोक्त मामले की प्रकृति एकांकी स्वरूप की अवश्य है लेकिन अभियोजन का मामला अभियोक्त्री द्वारा घटना का विरोध कर चिल्लाने स्वरूप का है। जबकि विवेचक से यह पूछा गया कि आपने आस पास के लोगों के कथन नहीं लिये तो उसने स्वीकार किया है, लेकिन स्वतः में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। जिससे यही प्रकट होता है कि प्राथमिकी को प्रमाणित करने के लिये औपचारिक रूप से विवेचना की गई है।

16– उपरोक्त उपर वर्णित समग्र विवेचना से योग्य विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं दण्डादेश दिनांक 30/06/2023 विधिसंगत प्रतीत न होने से **अपास्त** किया जाकर, अपीलार्थी/आरोपी को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 457, 354 भारतीय दण्ड संहिता से **दोषमुक्त** किया जाता है।

17– अपीलार्थी/आरोपी के जमानत मुचलके भारहीन होने से उन्मोचित किये जाते हैं।

18– अपीलार्थी/आरोपी द्वारा योग्य विचारण न्यायालय में अर्थदण्ड के रूप में जमा की राशि को अपीलार्थी/आरोपी द्वारा विधि अनुसार कार्यवाही की जाने पर उसे वापिस लौटाई जावे।

19– निर्णय की एक प्रति के साथ विद्वान विचारण न्यायालय का मूल अभिलेख वापिस भेजा जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(संजय कुमार गुप्ता)
चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश
डबरा, जिला ग्वालियर म0प्र0

(संजय कुमार गुप्ता)
चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश
डबरा, जिला ग्वालियर म0प्र0

<u>प्रतिलिपि</u> :–

निर्णय की प्रति सहित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भितरवार, जिला ग्वालियर म0प्र0 (श्री राकेश सिंह) के न्यायालय का आपराधिक प्रकरण क्रमांक–459/2016 व उनमान राज्य बनाम विजय सिंह उर्फ घसीटिया का अभिलेख वापिस लौटाया जावे।

SANJAY KUMAR GUPTA
Digitally signed by SANJAY KUMAR GUPTA
Date: 2024.05.31 15:26:41 +0530

(संजय कुमार गुप्ता)
चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश,
डबरा, जिला ग्वालियर म0प्र0